फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री भंवरसिंह **विपक्षी : राज्य**

किस्म मुकदमा – 88 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 55/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 30.12.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प मोरठ में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रकरण में तहसीलदार मावली से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि चमनसिंह के वारिसों के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार मावली द्वारा वाद को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। उभय पक्ष को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में श्री भवानीसिंह पिता रतनसिंह, श्री तेजसिंह पिता सोहनसिंह, श्री प्रेमसिंह पिता मेहताबसिंह, श्री भेरूसिंह पिता मनोहरसिंह, श्री तखतसिंह पिता मेहताबसिंह गवाह पेश किये, जिनसे जिरह की गई। वादी द्वारा निवेदन किया कि वह भूतपूर्व सैनिक भारत पाक युद्व विजेता होकर भूमि को अपने नाम कराने हेतु काफी वर्षो से भटक रहा हैं। प्रशासन गांवो के संग अभियान में वादी को राहत प्रदान कराये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी के पिता चमनसिंह पिता वजेसिंह राजपूत निवासी मानखण्ड तह. मावली द्वारा एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13. 06.77 को श्री कालुसिंह पिता वजेसिंह राजपूत को विक्रय की। उक्त भूमि कालुसिंह जी द्वारा नहीं चाहने से कुछ दिन पश्चात् ही अपना पूर्ण प्रतिफल पुनः चमनसिंह जी से प्राप्त कर मौके पर कब्जा सिपूर्द कर दिया एवं उक्त विक्रय पत्र को उसी दिन निरस्त करते हुए पंजीकृत विक्रय पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर मूल विक्रय पत्र निरस्त करते हुए पुनः हमारे पिता चमनसिंह जी को लौटा दिया तब से उक्त विक्रय पत्र अपने आप में निरस्त होकर हमारे पिता चमनसिंह व उनके पश्चात् उनके वारिस उक्त भूमि पर उपयोग उपभोग कर रहे है एवं मौके पर कुआ खुदवाया हुआ व मकान बना होकर परिवार के लोग वहां निवास करना बताया हैं। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रेकार्ड में दिनांक 26.07.81 को नामान्तरकरण पारित कर भूमि कालु सिंह जी के नाम दर्ज कर दी गई जबकि वह विक्रय पत्र स्वयं कालू सिंह जी ने अपना प्रतिफल प्राप्त कर निरस्त करवा लिया था एवं कब्जा भी पूर्व में ही प्रार्थी के पिता चमनसिंह को सिपूर्द कर दिया था। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी होने पर श्रीमान् तहसीलदार साहब मावली के यहां आवेदन पेश किया जिस पर पूर्ण सुनवाई करते हुए तहसीलदार मावली द्वारा उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करते हुए भूमि चमनसिंह के नाम दर्ज कर दी गई। उक्त आदेश के विरूद्व कालुसिंह जी द्वारा उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के यहां एक अपील सं. 40/77 दायर करवाई जिसमें भी माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील को तहसीलदार मावली को पक्षकारों को सुनते हुए कब्जे की जांच कर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड की गई थी।

तहसीलदार मावली द्वारा निर्णय की पालना में बिना सुने एवं बिना कब्जे की जांच किये नामान्तरकरण पारित कर दिया जबकि तहसीलदार मावली को निर्णय की पालना में कब्जे की जांच करते हुए कब्जेदार के पक्ष में नामान्तरकरण पारित करना था लेकिन तहसीलदार मावली द्वारा बिना कोई जांच किये जमीन को पुनः कालूसिंह के नाम दर्ज कर दी गई हैं, जिसमें तहसीलदार मावली द्वारा भारी भूल की गई हैं। इस कारण भूमि वर्तमान में कालूसिंह की मृत्यु के पश्चात् कालुसिंह जी के वारिसो के नाम दर्ज हो गयी हैं। मौके पर शुरू से अभी तक चमनसिंह व चमनसिंह के पश्चात् चमनसिंह [illegible] का निर्बाध रूप से कब्जा चला आना बताया हैं। मौके पर [illegible] प्रार्थीगण उपयोग उपभोग कर रहे हैं जिसके तईद में वादी द्वारा पेश किये सभी गवाहो ने मौके पर चमनसिंह के वारिस भंवरसिंह, लालसिंह, मनोहरकुंवर, [illegible] दशरथसिंह, पवनसिंह का संयुक्त कब्जा होना बताया हैं। चमनसिंह जी की मृत्यु करीब 40 वर्ष पूर्व होने का कथन किया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.18 19:45:25 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार मावली द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में आराजी नम्बर 3990, 3991, 3992, 3993, 3999, 4004, 4007 से 4016 किता 16 रकबा 52 बीघा 10 बिस्वा भूमि विक्रय पत्र में वर्णित 1/10 हिस्सा कालुसिंह के वारिसों के नाम दर्ज होकर मौके पर चमनसिंह के वारिसों का 1977 के पश्चात् से लगातार कब्जा होना बताया हैं। मौके पर्चे में उक्त आराजीयात में कुआ एवं पक्का निर्माण होकर कमरे बने होने का कथन किया हैं एवं सरसों एवं गेहूं की फसल बोकर कृषि करना बताया हैं।

प्रकरण में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा प्रकरण सं. 40/77 निर्णय दिनांक 12.04.78 से अपील को रिमाण्ड कर पक्षकारों को सुनते हुए कब्जे की जांच कर निर्णय पारित करने हेतु आदेश पारित किया था, जिसकी पालना में तहसीलदार मावली को कब्जे की जांच करते हुए नामान्तरकरण पारित करना था, परन्तु तहसीलदार मावली द्वारा बिना कोई कब्जे की जांच किये केवल मात्र कालुसिंह के प्रार्थना पत्र के आधार पर कालुसिंह के नाम भूमि दर्ज कर दी गई जिससे खातेदार चमनसिंह को भारी कठिनाई का सामना करना पड रहा हैं। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर का स्पष्ट निर्णय था कि कब्जे की जांच किये जाकर नामान्तरकरण को पारित करना था। खातेदार चमनसिंह की मृत्यु पिछले 40 वर्ष पूर्व हो चुकी हैं। चमनसिंह के पश्चात् उसके वारिस मौके पर काबिज होकर मकान बना रखा है, कुआ खुदवा रखा है, सरसो व गेंहू की फसल बो रखी हैं। चमनसिंह के वारिसों के कब्जे के सम्बन्ध में स्वतन्त्र गवाहों एवं तहसीलदार मावली द्वारा स्वयं अपने रिपोर्ट व पर्चे मौके में चमनसिंह के वारिसों का कब्जा होने का कथन किया हैं। उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर के प्रकरण सं. 40/77 निर्णय दिनांक 12.04.78 की पालना में तहसीलदार मावली द्वारा बिना कब्जे की जांच किये केवल मात्र कालुसिंह के प्रार्थना पत्र पर कालुसिंह के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया, जो कि खातेदार चमनसिंह के मुकाबले शून्य हैं। उक्त कार्यवाही से प्रार्थीगणों को काफी समय से भारी कठिनाई का सामना करना पड रहा हैं। प्रार्थी भूतपूर्व सैनिक 1965 एवं 1971 भारत पाक युद्व विजेता का सदस्य हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व में हुई त्रुटि को सुधारा जाकर पूर्व निर्णय दिनांक 12.04.78 की पालना में खातेदार कालुसिंह के वारिसों के बजाय चमनसिंह के वारिसों के नाम भूमि दर्ज कराने के अधिकारी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 3990, 3991, 3992, 3993, 3999, 4004, 4007 से 4016 किता 16 रकबा 52 बीघा 10 बिस्वा भूमि में विक्रय पत्र दिनांक 13.06.77 पक्षकारो के मुकाबले शून्य होने से पूर्ववत् खातेदार चमनसिंह का 1/10 हिस्सा जो वर्तमान में कालुसिंह पिता वजेसिंह राजपूत के वारिसों के नाम दर्ज के बजाय चमनसिंह पिता वजेसिंह राजपूत के विधिक वारिसों को हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

तहसीलदार मावली इसी अनुरूप विक्रय पत्र में वर्णित 1/10 हिस्सें को चमनसिंह के विविधक वारिसों के नाम नामान्तरकरण पारित करने की कार्यवाही करें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.18 19:45:25 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्री भंवरसिंह पिता चमनसिंह राजपूत निवासी मानखण्ड तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 55/21 (वाद) GCMS No. – 2021/103

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज. का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 3990, 3991, 3992, 3993, 3999, 4004, 4007 से 4016 किता 16 रकबा 52 बीघा 10 बिस्वा भूमि में विक्रय पत्र दिनांक 13.06.77 पक्षकारो के मुकाबले शून्य होने से पूर्ववत् खातेदार चमनसिंह का 1/10 हिस्सा जो वर्तमान में कालुसिंह पिता वजेसिंह राजपूत के वारिसों के नाम दर्ज के बजाय चमनसिंह पिता वजेसिंह राजपूत के विधिक वारिसों को हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

तहसीलदार मावली इसी अनुरूप विक्रय पत्र में वर्णित 1/10 हिस्सें को चमनसिंह के विविधक वारिसों के नाम नामान्तरकरण पारित करने की कार्यवाही करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30.12.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.18 19:45:25 IST
Reason: SelfAttested